अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
GRANT No. 27 - MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	13911,99,00	14232,03,00	8943,68,35	-5288,34,65
पूरक	Supplementary	320,04,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4446,89,73
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	388,01,00	388,02,00	276,60,26	-111,41,74
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				109,05,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹528834.65 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹32004.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹528834.65 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹32004.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 37 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	130182.00	140126.50	137365.61	-2760.89
पु.	R.	9944.50			
मुख्य शीर्ष "3454"	Major Head "3454"				
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census Surveys and Statistics				
मू.	O.	111000.00	122001.00	121965.43	-35.57
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	11000.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	106762.00	650.50	..	-650.50
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-106113.50			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	1043255.00	715735.27	635037.31	-80697.96
पू.	S.	32001.00			
पु.	R.	-359520.73			

(I) सत्रह शीर्षों के अंतर्गत ₹150865.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹150363.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹150865.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹150363.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग – इलेक्ट्रानिक्स" –

(क) "श्रमशक्ति विकास कार्यक्रम" – ₹5000.00 लाख;

(ख) "इलेक्ट्रानिक शासन कार्यक्रम" – ₹10800.00 लाख;

(ग) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹10000.00 लाख;

(घ) "इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस.ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)" – ₹13262.00 लाख;

(ङ) "आईटी और आईईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹1200.00 लाख;

(च) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास" – ₹7000.00 लाख;

(छ) "साइबर सुरक्षा परियोजनायें" – ₹4000.00 लाख;

(ज) "डिजिटल भुगतान का संवर्धन" – ₹2001.00 लाख (₹1.00 लाख सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(झ) "बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई" – ₹53000.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों के कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग" –

(A) Major Head "2552" - "Telecommunication and Electronics Industries-Electronics" -

(a) "Manpower Development Programme" - ₹5000.00 lakhs;

(b) "Electronic Governance Programme" - ₹10800.00 lakhs;

(c) "National Knowledge Network Programme" - ₹10000.00 lakhs;

(d) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - ₹13262.00 lakhs;

(e) "Promotion of IT and ITes Industries" - ₹1200.00 lakhs;

(f) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - ₹7000.00 lakhs;

(g) "Cyber Security Projects" - ₹4000.00 lakhs;

(h) "Promotion of Digital Payments" - ₹2001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(i) "PLI for Large Scale Electronics and IT Hardware" - ₹53000.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries" -

(क) "स्वायत्त शासी और अन्य निकायों को सहायता – भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जिओ इंफार्मेशन (बीआईएसएजी–एन)" – ₹10000.00 लाख – बीआईएसएजी–एन के मुख्यालय में सिविल अवसंरचना के संपादन में देरी होने और संशोधित परियोजना माइलस्टोन के कारण हुई।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक" –

(i) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹800.00 लाख;

(ii) "इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपी, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)" – ₹17900.00 लाख;

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों क संवर्धन" – ₹700.00 लाख; और

(ii) "इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपी, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) का विकास" – ₹14700.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग – स्वायत्त शासी और अन्य निकायों को सहायता – सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)" के अंतर्गत – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹32000.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गईं, जो, तथापि पूंजीगत परियोजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिए जाने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और ऋण प्राप्तकर्ता निकायों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण ₹11614.25 लाख की सीमा तक

(a) "Assistance to Autonomous and Other Bodies - Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo Information (BISAG-N)" - ₹10000.00 lakhs - due to delay in execution of civil infrastructure project at Headquarters of BISAG-N and revised project milestones.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Promotion of IT and ITes Industries" - ₹800.00 lakhs;

(ii) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - ₹17900.00 lakhs;

(c) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Promotion of IT and ITes Industries" - ₹700.00 lakhs; and

(ii) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - ₹14700.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals.

(II) Under Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries - Assistance to Autonomous and Other Bodies - Semi Conductor Laboratory (SCL)" - funds of ₹32000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹11614.25 lakhs - due to non-materialization of capital projects, non-receipt of viable proposals and

अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" –

(क) "श्रमशक्ति विकास कार्यक्रम" – ₹15968.89 लाख की बचत (₹23000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों के आवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण पहली दो तिमाहियों में कम व्यय के कारण हुई।

(ख) "इलेक्ट्रानिक शासन कार्यक्रम" – ₹15566.20 लाख की बचत (₹32000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदान प्राप्त कर्ता निकायों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹13260.22 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घ) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹692.24 लाख की बचत (₹7300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ङ) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास" – ₹17134.31 लाख की बचत (₹44317.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

निधियों के आवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान कम व्यय होने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और अनुदान प्राप्त कर्ता निकायों के पास पिछले वर्ष की अनुप्रयुक्त शेष राशि की

availability of unspent balances of previous year with the grantee bodies.

(III) Under Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Digital India Programme" -

(a) "Manpower Development Programme" - saving of ₹15968.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23000.00 lakhs) was due to less expenditure during the first two quarters owing to implementation of revised procedure for flow of funds.

(b) "Electronic Governance Programme" - saving of ₹15566.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the grantee bodies.

(c) "National Knowledge Network Programme" - saving of ₹13260.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs);

(d) "Promotion of IT and ITes Industries" - saving of ₹692.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7300.00 lakhs); and

(e) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - saving of ₹17134.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44317.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less expenditure during the first two quarters owing to implementation of revised procedure for flow of funds, non-receipt of viable proposals and

उपलब्धता के कारण हुई।

(च) "इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)" – ₹131034.07 लाख की बचत (₹194437.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छ) "साइबर सुरक्षा परियोजनायें" – ₹18839.05 लाख की बचत (₹21500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियों के आवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान कम व्यय होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने अनुदानप्राप्त कर्ता निकायों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) "विनियमन और प्रमाणन" –

(क) "मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)" – ₹1029.52 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के संशोधित प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने में देरी होने और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "साइबर सुरक्षा (सीईआरटी–आईएन)" – ₹3849.08 लाख की बचत (₹9500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सह –अवस्थित परिसर किराये पर नहीं लेने के कारण हुई।

(गा) "उद्योगों/कंपनियों को सहायता – बडे इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई" – ₹251630.51 लाख की बचत (₹405658.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुई); और

(घा) "स्वायत्त शासी और अन्य निकायों को सहायता" –

availability of unspent balances of previous year with the grantee bodies.

(f) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - saving of ₹131034.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹194437.00 lakhs); and

(g) "Cyber Security Projects" - saving of ₹18839.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less expenditure during the first two quarters owing to implementation of revised procedure for flow of funds, cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-receipt of viable proposals and availability of unspent balances of previous year with the grantee bodies.

(B) "Regulation and Certification" -

(a) "Standardisation, Testing and Quality Certification (STQC)" - saving of ₹1029.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs) was due to delay in filling up of vacant posts and requirement of less funds towards leave travel concession.

(b) "Cyber Security (CERT-In)" - saving of ₹3849.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs) was due to non-hiring of co-location site.

(C) "Assistance to Industries/Companies - PLI for Large Scale Electronics and IT Hardware" - saving of ₹251630.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹405658.00 lakhs) ; and

(D) "Assistance to Autonomous and Other Bodies" -

(क) "सोसायटी फार एप्लाइड माइक्रो वेव इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (एसए एम ई ई आर)" – ₹1860.81 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियों के आवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान कम व्यय होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(ख) "सेंटर फार मेटीरीयल्स फार इलेक्ट्रानिक तेक्नालाजी (सी–एमईटी)" – ₹3768.65 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(डा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक" –

(क) "श्रमशक्ति विकास कार्यक्रम" – ₹3300.63 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों के आवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान कम व्यय होने, और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रवधानों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "इलेक्ट्रानिक शासन कार्यक्रम" – ₹2594.81 लाख की बचत (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और अनुदान प्राप्त कर्ता निकायों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई ।

(ग) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹3311.88 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Society for Applied Micro-wave Engineering and Research (SAMEER)" - saving of ₹1860.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less expenditure during the first two quarters owing to implementation of revised procedure for flow of funds and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Centre for Materials for Electronic Technology (C-MET)" - saving of ₹3768.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-materialisation of capital project.

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Manpower Development Programme" - saving of ₹3300.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to less expenditure during the first two quarters owing to implementation of revised procedure for flow of funds and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Electronic Governance Programme" - saving of ₹2594.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and availability of unspent balances of previous year with the grantee bodies.

(c) "National Knowledge Network Programme" - saving of ₹3311.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) ; and

(घ) "साइबर सुरक्षा परियोजनायें" – ₹2400.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियों के आवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान कम व्यय होने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और अनुदानप्राप्त कर्ता निकायों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ड) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास" – ₹4334.14 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(च) "बडे इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पी एल आई" – ₹32566.23 लाख की बचत (₹38912.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(छा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "श्रमशक्ति विकास कार्यक्रम" – ₹2866.35 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "बडे इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पी एल आई" – ₹27307.51 लाख की बचत (₹32430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियों के आवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान कम व्यय होने के कारण हुईं।

(ग) "इलेक्ट्रानिक शासन कार्यक्रम" – ₹1907.06 लाख की बचत (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और अनुदान प्राप्त कर्ता निकायों के पास पिछले वर्ष की

(d) "Cyber Security Projects" - saving of ₹2400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less expenditure during the first two quarters owing to implementation of revised procedure for flow of funds, non-receipt of viable proposals and availability of unspent balances of previous year with the grantee bodies.

(e) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - saving of ₹4334.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs);

(f) "PLI for Large Scale Electronics and IT Hardware" - saving of ₹32566.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38912.00 lakhs);

(F) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Manpower Development Programme" - saving of ₹2866.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(b) "PLI for Large Scale Electronics and IT Hardware" - saving of ₹27307.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32430.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to less expenditure during the first two quarters owing to implementation of revised procedure for flow of funds.

(c) "Electronic Governance Programme" - saving of ₹1907.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals

अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

and availability of unspent balances of previous year with the grantee bodies.

(घ) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹6101.72 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रवाधान की तुलना में) हुई;

(d) "National Knowledge Network Programme" - saving of ₹6101.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs);

(ड़) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास" – ₹3841.47 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(e) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - saving of ₹3841.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs); and

(च) "साइबर सुरक्षा परियोजनायें" – ₹1750.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(f) "Cyber Security Projects" - saving of ₹1750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियों के आवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान कम व्यय होने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और अनुदान प्राप्त कर्ता निकायों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियां उपलब्ध होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to less expenditure during the first two quarters owing to implementation of revised procedure for flow of funds, non-receipt of viable proposals and availability of unspent balances of previous year with the grantee bodies.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹391.91 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 39 प्रतिशत है।

(IV) Under one head saving of ₹391.91 lakhs occurred constituting 39 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹193558.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹32003.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹193558.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹32003.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3454" – "सर्वेक्षण और सांख्यिकी – विशिष्ट पहचान योजना – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)" – ₹11000.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹10964.43 लाख हुआ।

(A) Major Head "3454" - "Surveys and Statistics - Unique Identification Scheme - Unique Identification Authority of India (UIDAI)" - ₹11000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10964.43 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग" –

(क) "डिजिटल भारत कार्यक्रम" –

(i) "डिजिटल भुगतान को बढावा" – ₹151768.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹151471.96 लाख हुआ।

(ii) "भारत में सेमी कंडक्टरों और डिस्प्ले विनिमार्ण पारितंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम" – ₹1300.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1299.00 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – डिजिटल भुगतानों को बढावा" – ₹16390.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹16389.67 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – डिजिटल भुगतानों को बढावा" – ₹13100.00 लाख।

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) "सचिवालय – इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" – ₹1911.51 लाख का अधिक व्यय (₹10982.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जी–20 भारत की अध्यक्षता से संबंधित आगामी कार्यकलापों और डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) "संबद्ध कार्यालय – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)" – ₹5272.10 लाख का अधिक व्यय (₹119200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन की बकाया राशि, आतिथ्य, विभिन्न केंद्रों के बिजली के बिलों और अपेक्षाकृत अधिक यात्राओं के बिलों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries" -

(a) "Digital India Programme" -

(i) "Promotion of Digital Payments" - ₹151768.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹151471.96 lakhs.

(ii) "Modified Programme for Development of Semi conductors and Display Manufacturing Ecosystem in India" - ₹1300.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1299.00 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Promotion of Digital Payments" - ₹16390.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹16389.67 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Promotion of Digital Payments" - ₹13100.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3451" - under the following heads:-

(A) "Secretariat - Ministry of Electronics and Information Technology" - excess of ₹1911.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10982.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards the upcoming activities related to G-20 Presidency of India and Digital Economy Working Group.

(B) "Attached Offices - National Informatics Centre (NIC)" - excess of ₹5272.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹119200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards arrears of salaries, hospitality, electricity charges of various centres and receipt of more travel bills.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	25800.00	14646.00	14598.72	-47.28
पु.	R.	-11154.00			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) "मशीनरी और उपकरण – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र" – ₹11201.28 लाख की बचत (₹25800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों की सेवायें सार्वजनिक खरीद पोर्टल में प्रदान किए जाने के कारण मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रों में प्रमुख सिविल कार्यों का संपादन नहीं होने के कारण हुई।

(II) Under "Machinery and Equipments-National Informatics Centre" - saving of ₹11201.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards machinery and equipment owing to National Informatics Centres services being rendered on Public Procurement Portal mode and non-execution of major civil works in National Informatics Centres.